पत्रांकः SHSB/AOCell/01/2020(P-1)/......36.....

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें,
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,

पटना, दिनांक : ...03/04/2020

विषयः COVID-19/कोरोना वायरस के परिप्रेक्ष्य में जिलों में स्थापित Isolation-cum-Treatment Centre एवं Quarantine Centre में आयुष चिकित्सकों एवं पारामेडिकल कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 12 (अ०स०को०), दिनांक 01.04.2020

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक जिले में आवश्यक सुविधा सहित Isolation Centre एवं Quarantine Centre की स्थापना एवं संचालन करने का दिशा निर्देश दिया गया है। भारत सरकार के निदेशानुसार Isolation Centre एवं Quarantine Centre के संचालन में Main Streaming of Ayush तथा RBSK के आयुष चिकित्सकों का सहयोग लिया जाना है।

2. उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक पत्र के अनुलग्नक-1 के अनुसार Isolation-cum-Treatment Centre एवं Quarantine Centre में आयुष चिकित्सक एवं पारामेडिकल स्टाफ की 24x7 प्रतिनियुक्ति करते हुये निम्नवत् रोस्टर तैयार किया जाये-

(क) 50 बेड से कम आवासन वाले सेंटर में - प्रति पाली - एक चिकित्सक एवं दो ए०एन०एम०/पाराचिकित्सका कर्मी।

(ख) 50 से 100 बेड आवासन वाले सेंटर में - प्रति पाली - दो चिकित्सक एवं चार ए०एन०एम०/पाराचिकित्सा कर्मी।

(ग) 100 से 200 आवासन वाले सेंटर में - प्रति पाली - दो चिकित्सक एवं छः ए०एन०एम०/पाराचिकित्सा कर्मी।

3. अतः उपर्युक्त के अनुसार आयुष चिकित्सकों एवं पाराचिकित्सा कर्मियों का रोस्टर तैयार कर Isloation Centre एवं Quarantine Centre में चिकित्सकीय कार्य कराया जाये।

विश्वासभाजन

3/4/2020
(संजय कुमार)

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक......36........   पटना, दिनांक.....03/04/2020

प्रतिलिपि:–

- मुख्य सचिव, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि इसके अनुपालन का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।
- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/4/2020

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य विभाग

Scanned with CamScanner